प्रेस विज्ञप्ति

18.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने 17/12/2024 को **19.37 करोड़ रुपये** मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसमें **मेसर्स हेलिओस ट्यूबलॉयज प्राइवेट लिमिटेड (एचटीपीएल)** और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राजुला में वाणिज्यिक भूमि और अहमदाबाद में एक आवासीय फ्लैट शामिल हैं।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, गांधीनगर (डीजीएम, अहमदाबाद क्षेत्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, आश्रम रोड, अहमदाबाद की लिखित शिकायत) द्वारा मेसर्स हेलिओस ट्यूबलॉयज प्राइवेट लिमिटेड (एचटीपीएल), अहमदाबाद और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया है कि मेसर्स एचटीपीएल और इसके निदेशकों शांतिलाल संघवी और महेश संघवी ने बैंक ऑफ बड़ौदा को **28.54 करोड़ रुपये** का चूना लगाया है। बाद में, सीबीआई, एसीबी गांधीनगर ने दिनांक 28.12.2021 को आरोप पत्र दायर किया।

ईडी की जांच से पता चला कि कंपनी को स्टेनलेस स्टील शीट, कॉइल, प्लेट, फिटिंग और विभिन्न प्रकार के स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब के निर्माण जैसे "स्टेनलेस स्टील" के व्यापार के घोषित उद्देश्य से शामिल किया गया था। कंपनी को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कुल 29.67 करोड़ रुपये (नकद ऋण: 17 करोड़ रुपये, ऋण पत्र: 4 करोड़ रुपये, सावधि ऋण: 3.67 करोड़ रुपये और बीजी: 5 करोड़ रुपये) की ऋण सुविधा दी गई थी।

इसके अलावा, 28.54 करोड़ रुपये की राशि में से, 14 करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि को धोखाधड़ी से सहयोगी कंपनी मेसर्स एसएलएस स्टेनलेस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में डायवर्ट किया गया, जिसके निदेशक एक ही (कॉमन) थे। इसके अलावा, मेसर्स एचटीपीएल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 4.50 करोड़ रुपये (लगभग) की बैंक गारंटी ली थी, जिसे गैर-प्रदर्शन के कारण हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा, कंपनी ने शेष ऋण राशि का उपयोग विभिन्न भुगतानों जैसे कि टर्म लोन पुनर्भुगतान, बीजी शुल्क, एलसी शुल्क/एलसी छूट शुल्क, आयकर भुगतान आदि के लिए करके गलत इस्तेमाल किया। इस तरह, इसने बैंक ऑफ बड़ौदा को 28.54 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया है। हालांकि, बैंक ने गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री और अन्य उपायों की नीलामी करके 5.64 करोड़ रुपये की राशि वसूल की है।

जांच के दौरान, मेसर्स एचटीपीएल की एक सहयोगी कंपनी के नाम पर कुछ अचल संपत्तियों की पहचान की गई। ईडी ने 17/12/2024 को **19.37 करोड़ रुपये** मूल्य का अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें राजुला में वाणिज्यिक भूमि और अहमदाबाद में एक आवासीय फ्लैट शामिल है। इसलिए, बैंक को हुए 22.90 करोड़ रुपये के शेष नुकसान में से ईडी ने 19.37 करोड़ रुपये की कुर्की की है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।